

आपने अधिकार जानिए

आपको क्या करना चाहिए
यदि पुलिस, एफ बी अडि
(फेडरल ब्यूरो), आई एन एस
(इमीग्रेशन एजेंसी) या फिर
कस्टम सर्विस वाले जांच -
पड़ताल के लिए रोकों

सूचना के लिये सम्पर्क करें

अमेरिकन सिविल लिबर्टिस यूनियन (ए सी एल यु) : (212) 549-2500

अमेरिकन-अरब एन्टि-डिस्क्रिमिनेशन कमेटी (ए डी सी) : (202) 244-2990

एशियन अमेरिकन लिगल डिफेन्स एन्ड एजुकेशन फण्ड (ए ए एल डी ई एफ) : (212) 966-5932

नेशनल लायर्स गिल्ड - पोस्ट 9/11 प्रोजेक्ट : (212) 505-9119; नेशनल

इमिग्रेशन प्रोजेक्ट : (617) 227-9727


यु एस कमीशन आन सिविल राईट्स (यु सी सी आर) : (800) 552-6843

रेशल प्रोफाईलिंग जब पोलिस, एफ बी आई या कोई भी अन्य कानूनी संस्था आपको आपके रंग, शक्ल या धर्म पर पूछताछ, तलाशी या छानबीन के लिये रोकती है। अगर आपको विश्वास है कि आप इसके शिकार हैं तो आपको ए सी एल यु की हाटलाईन **1-877-6-PROFILE** से सम्पर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिये।

द्वारा प्रकाशित:

ACLU

ए सी एल यू
(अमेरिकन सीविल लिबर्टीज यूनियन)
125 ब्रॉडवे स्ट्रीट
न्यूयार्क, न्यूयार्क - 10004
www.aclu.org
Distributed by:



अपने अधिकार जानिए

हमने यह पुस्तिका आपको आपके अधिकार जानने या समझने के लिए तैयार की है यदि आपको एफ बी आई, आई एन एस या पुलिस अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाए या रोकें तो सबसे पहले आपको कई सावधानियां बरतनी चाहिए। सवालों का जवाब देने से पहले अपने वकील से सलाह जरूर लें। यदि आप खुद जवाब देते हैं तो उन जवाबों को आपके ही खिलाफ क्रिमीनल (फौजदारी), इमीग्रेशन या सीविल केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर-नागरिकों की कानूनी जरूरतों को ध्यान में रख कर हम आपको बहुत सी जरूरी बातों का खुलासा करेंगे। जो भी बातें हम आपको बताएंगे उसका मकसद किसी भी सरकारी एजेंसी को जांच-पड़ताल करने से रोकने का कतई नहीं है। इस पुस्तिका का भाग-1 अमेरिकी नागरिकों और गैर-नागरिकों के लिए है सिवाय जहां कोई खास बात नहीं कही गई है। भाग 2 - खासतौर से गैर-नागरिकों के लिए है।

1. मेरे सवैधानिक अधिकार क्या हैं।

चुप रहने का अधिकार: अमेरिकी संविधान के पांचवे अमेंडमेंट के अनुसार हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सरकारी अफसर द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब न दे। वे आपको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं लेकिन वे आपको जवाब न देने पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। परंतु पुलिस या एफ बी आई आप पर शक कर सकती है यदि आप जवाब देने से मना करते हैं तो।

गैर-जरूरी जांच-पड़ताल या जब्ती से बचने का अधिकार: संविधान का चौथा अमेंडमेंट आपके निजी जीवन को बचाता है। बिना किसी वारंट के कोई भी अधिकारी या एजेंट आपकी इजाजत के बगैर तलाशी नहीं ले सकता है। आप उस अफसर को घर के अंदर आने से भी मना कर सकते हैं लेकिन इमरजेंसी की हालत में (जब कोई व्यक्ति अंदर से मदद की पुकार करे) तो अधिकारी बिना किसी वारंट के घर में घुस सकता है और पड़ताल कर सकता है। यदि आपको कोई अफसर घर में गिरफ्तार करता है तो वह 'आसपास' (जहां पर या जिस कमरे में आपको गिरफ्तार किया गया है) की जगहों की तलाशी ले सकता है। सावधानी बरतिए, हो सकता है कि सरकारी एजेंसियां आपकी 'ई-मेल; सेलफोन या फिर घरेलू फोन कॉलों पर बारीकी से नजर रखे हुए हों।

बदलाव की मांग का अधिकार: संविधान का पहला अमेंडमेंट 'समूहों या व्यक्ति विशेष' की रक्षा करता है जो कोई शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की मांग करता है या सरकारी नीतियों का विरोध करता है। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आई एन एस गैर-नागरिकों को पहले अमेंडमेंट के तहत सरकारी नीतियों का विरोध करने वालों को देश से निकाल सकती है। आई एन एस आपको आपके वीजा से अधिक दिनों तक रूकने के अपराध में भी देश से निकाल सकती है।

2. यदि मुझसे पुलिस या एफ बी आई संपर्क करे तो क्या करना चाहिए?

सवाल: यदि कोई सरकारी एजेंट जांच पड़ताल के लिए आए?

जवाब: आपके पास चुप रहने का अधिकार है लेकिन आपको जांच पड़ताल करने वाले एफ बी आई या पुलिस अफसर को अपना नाम और पता बताना होगा। आप किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं चाहे घर हो, दफतर या फिर गली। भले ही आपको गिरफ्तार किया हो या फिर जेल में

दूतावास को चाहिए कि वे आपके लिए वकील उपलब्ध कराएं। आप कोई मदद लेने से मना भी कर सकते हैं।

सवाल: सुनवाई से पहले ही यदि मैं अधिकारों को छोड़ दूँ तो क्या होगा?

जवाब: आप किसी भी तरह के इमीग्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और भविष्य में अमेरिका आने के लिए आपको रोका जा सकता है। गैर-नागरिकों के लिए बिना सुनवाई के जाना परेशानियां पैदा कर सकता है। कुछ भी कदम उठाने से पहले वकील से सलाह जरूर करें। 'ग्रीनकार्ड होल्डर को भी देश में घुसने से रोका जा सकता है। बिना 'इमीग्रेशन स्टेट्स' वाले लोगों को भी बरसों तक देश में घुसने से रोका जा सकता है।

सवाल: यदि आई एन एस को खुद संपर्क करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा?

जवाब: फोन पर भी बात करने से पहले वकील से बात करें। इमीग्रेशन एजेंट आपको कोई सलाह नहीं दे सकते।

महत्वपूर्ण नोट: गैर-नागरिक, जो घरेलू मारपीट के शिकार हैं वे जरूर वकील से मिलें।

4. एयरपोर्ट पर मेरे क्या अधिकार हैं?

महत्वपूर्ण नोट: आपकी नागरिकता, धर्म या रंग के आधार पर आपकी जांच करना गैर-कानूनी है।

सवाल: मेरे पास पासपोर्ट और वीजा है। क्या मुझे कस्टम एजेंट पूछताछ या जांच-पड़ताल के लिए रोक सकते हैं?

जवाब: हां। कस्टम अधिकारी 'ड्रग्स' या हथियारों को देश में लाने की इजाजत नहीं दे सकते। वे किसी भी व्यक्ति की जांच-पड़ताल कर सकते हैं। पासपोर्ट या वैध वीजा का अर्थ यह नहीं है कि आप पूछताछ या तलाशी से बच सकते हैं।

सवाल: 'मेटल डिटेक्टर' से गुजरने के बावजूद भी क्या मेरी या मेरे सामान की तलाशी दोबारा हो सकती है?

जवाब: आप अपने सामान को स्कैन करने की इजाजत टिकट खरीदने के समय ही दे देते हैं लेकिन यदि पहली बार स्कैन के बाद कुछ नजर नहीं आता है तो वे बार-बार जांच करने का अधिकार नहीं रखते। परंतु बार-बार जांच करने के मामले पर सरकारी एजेंसियों की अलग-अलग राय है।

सवाल: यदि मैं हवाई जहाज में हूँ और एयरलाइंस का कोई अधिकारी मुझसे पूछताछ करे या फिर जहाज से उतर जाने के लिए कहे तो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?

जवाब: पायलेट जिस व्यक्ति को जहाज या अन्य यानियों की सुरक्षा के लिए खतरा समझे तो वह उसे जहाज में ले जाने से मना कर सकता है। लेकिन पायलेट का फैसला किसी ठोस सबूत पर आधारित होना चाहिए, अनुमान पर नहीं।

सरकारी वकील की सेवाएं नहीं मिल सकती हैं। वकील को तैयार करना या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको मुफ्त सलाह दे सके, यह सब काम आपको खुद करना होगा। यदि आपको किसी वकील को ढूँढने में मुश्किल पेश आ रही है तो इस पुस्तिका के अंत में उन संस्थाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है जहां से आप वकीलों से संपर्क साध सकते हैं।

सवाल: यदि मुझे आई एन एस रोके तो क्या मुझे अपने इमीग्रेशन स्टेट्स के बारे में बताना होगा?

जवाब: जरूरी नहीं। हॉं यदि आप चाहें तो इमीग्रेशन एजेंट को 'स्टेट्स' के बारे में बता सकते हैं। परंतु वकील से सलाह करना बेहतर रहेगा। यदि एजेंट आपसे उन सवालों के जवाब चाहे जिनको बताना आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप कोई जवाब न दें।

सवाल: क्या हमेशा मुझे अपना 'ग्रीनकार्ड' या इमीग्रेशन पेपर साथ रखने होंगे?

जवाब: हाँ। कानून कहता है कि आप 'इमीग्रेशन स्टेट्स' के पेपर को साथ रखें। इसमें ग्रीनकार्ड, पासपोर्ट, आई-94, 'वर्क आथोराइजेशन' पेपर आदि शामिल हैं। यदि आपके पास ये पेपर नहीं हैं तो आपके खिलाफ केस बनाया जा सकता है। हालांकि सरकार इस कानून को हमेशा लागू नहीं करती लेकिन वह जब चाहे लागू कर सकती है।

सवाल: यदि इमीग्रेशन एजेंट मुझे हिरासत में लेते हैं तो क्या मेरे खिलाफ कोई केस बनाया जा सकता है?

जवाब: हाँ। आई एन एस के कानूनों के तहत यह 48 घंटे के अंदर अंदर तय करना होता है कि वह आपको बंदी बनाए रखेंगे या जमानत पर छोड़ेंगे।

नए कानूनों के तहत इमीग्रेशन एजेंट इमरजेंसी का बहाना बनाकर अधिक टाइम तक आपको अंदर रख सकते हैं। प्रस्तावित नए आतंकवादी कानूनों के तहत बिना कोई केस बनाए सदेहास्पद व्यक्ति को सात दिन तक अंदर रखा जा सकता है।

सवाल: क्या मैं जमानत पर छूटने की मांग उठा सकता हूँ?

जवाब: अधिकतर मामलों में आप जमानत कराने के बाद जज के सामने पेशी की तारीख ले सकते हैं। ये अधिकार आपके पास है चाहे आप हिरासत में हैं या नहीं। जज यदि आपको समाज या देश के लिए खतरा समझता है तो वह आपको हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। यदि आपके खिलाफ आतंकवाद फैलाने के आरोप हैं या फिर फौजदारी का केस है तो भी आपको रिहा नहीं किया जा सकता है।

सवाल: देश निकाला दिए जाने के आदेश से पहले क्या मैं इमीग्रेशन जज से सुनवाई की तारीख ले सकता हूँ?

जवाब: हाँ। अधिकतर मामलों में सिर्फ इमीग्रेशन जज ही 'डिपोर्टेशन' के आदेश दे सकता है। लेकिन यदि आप खुद ही देश छोड़ना चाहते हैं तो आपको बिना सुनवाई के ही 'डिपोर्ट' किया जा सकता है। यदि आपको पहले किसी फौजदारी के मुकदमे में गिरफ्तार किया जा चुका है तो आपको बार्डर पर या एयरपोर्ट से वापस किया जा सकता है।

सवाल: आई एन एस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर क्या मैं अपने देश के दूतावास या 'कन्सुलेट' से संपर्क साध सकता हूँ?

जवाब: हाँ। गिरफ्तारी की हालत में आप अपने दूतावास को फोन कर सकते हैं या पुलिस द्वारा सूचना भिजवा सकते हैं। पुलिस को चाहिए कि वो आपको आपके देश के दूतावास में जाने दें।

बंद रखा हो। यदि आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ जज ही सवाल पूछ सकता है।

सवाल: क्या कोई एजेंट मेरे घर या दफतर की तलाशी ले सकता है?

जवाब: आपके घर या दफतर की तलाशी कोई पुलिस एजेंट या कोई दूसरी एजेंसी तब तक नहीं ले सकती जब तक या तो आप इजाजत नहीं देते या फिर उनके पास तलाशी वारंट हो। रोका-टोकी करने से तलाशी तो नहीं रूकेगी लेकिन आपकी गिरफ्तारी जरूर हो सकती है। भले ही तलाशी गैर-कानूनी हो लेकिन यह सच्चाई है। आपका रूम मेट या मेहमान कानूनी तौर पर तलाशी की इजाजत दे सकता है यदि पुलिस यह समझे कि वह तलाशी देने का अधिकार रखता है। पुलिस या दूसरी एजेंसियों को आपके दफतर की तलाशी लेने के लिए वारंट की जरूरत होती है लेकिन आपका मालिक या रोजगारदाता आपकी इजाजत के बगैर आपके केबिन या डेस्क की तलाशी की सहमति दे सकता है।

सवाल: एजेंटों ने मुझे घर में गिरफ्तार किया है - क्या वे मेरे पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं?

जवाब: जहां आप बैठे या लेटे हुए हैं उस जगह की तलाशी बिना वारंट ली जा सकती है। लेकिन बिना वारंट के पूरे घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है। वह भी वारंट में साफ-साफ लिखा हो कि अमुक व्यक्ति, जगह की तलाशी ली जाएगी और इन चीजों को जब्त किया जाए।

सवाल: एजेंट के पास तलाशी वारंट हो तो क्या करूं?

जवाब: आप सबसे पहले वारंट को देख सकते हैं। वारंट पर यह साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि किन जगहों, या व्यक्तियों की तलाशी ली जाए या अमुक वस्तुओं को जब्त किया जाए। जब पुलिस के पास वारंट हो तो आप उन्हें तलाशी से नहीं रोक सकते हैं लेकिन आप यह जरूर कह सकते हैं कि आप इस की इजाजत नहीं देते। ऐसा कहने से वह सिर्फ उन्हीं जगहों की जांच करेंगे जो वारंट में लिखा है। आपके पास तलाशी करने वाली जगहों को देखने का अधिकार है। आप तलाशी लेने वाले अफसर का नाम, बैज नंबर और उनकी एजेंसी का नाम कागज पर लिख सकते हैं। यदि आपके अलावा कोई दूसरा भी घर पर या साथ में है तो उन्हें गवाह बना सकते हैं। जो भी सूचना आपके पास या आपके गवाहों के पास हो तो उन्हें आप अपने वकील को दें।

सवाल: यदि पुलिस के पास तलाशी वारंट है ऐसे में क्या उनके सवालों के जवाब देने होंगे?

जवाब: नहीं। तलाशी वारंट का मतलब यह नहीं है कि आपको उनके सवालों के जवाब देने होंगे। आप से वे तलाशी से पहले, तलाशी के दौरान या बाद में सवाल पूछ सकते हैं।

सवाल: यदि एजेंट के पास तलाशी वारंट नहीं हो तो क्या करना चाहिए?

जवाब: आप पुलिस को घर में घुसने से या तलाशी लेने की इजाजत कतई न दें और न ही उनके सवालों का जवाब। आपके जवाब न देने या तलाशी की इजाजत न देने को कोई भी पुलिस अफसर गिरफ्तारी की भूमिका के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।

सवाल: यदि एजेंट के पास तलाशी वारंट हो और वह मेरे मना करने के बाद भी तलाशी लेने पर आमादा हों तो मैं क्या करूं?

जवाब: आप शारीरिक तौर पर उनको रोकने की कोशिश न करें। ऐसा करने से वे आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। भले ही जांच-पड़ताल गैर-कानूनी हो। उस दौरान किसी को गवाह बनाने की कोशिश करें जो यह कह सकता हो कि पुलिस ने आपकी सहमति के बगैर ऐसा किया है। साथ में पुलिस अधिकारी का नाम, बैज नंबर जरूर लिखें। अगर बाद में तलाशी गैर-कानूनी पायी जाती

है तो जांच-पड़ताल के दौरान इक्स्ट्रा किया गया सबूत क्रीमिनल केस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

सवाल: क्या होगा यदि मैं जो चाहे पुलिस को बताऊँ?

जवाब: पुलिस को जो भी आप बताएंगे उसको आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी एजेंसियों को झूठ बताना गुनाह है।

सवाल: पुलिस मुझे सड़क या राह चलते हुए रोके तो क्या करूँ?

जवाब: आप उनसे रोकने का कारण पूछ सकते हैं। यदि पुलिस यह कहे कि आपको गिरफ्तार तो नहीं किया है लेकिन आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो समझिए कि आपको एक तरह से 'बंदी' बना लिया गया है। लेकिन इस स्थिति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को यदि कोई संदेह हो जाए कि आपके पास हथियार हैं तो वे आपके कपड़ों की तलाशी ले सकते हैं। अगर पुलिस इससे अधिक तलाशी लेती है या लेने की कोशिश करती है तो आप कह सकते हैं कि "मैं तलाशी लेने की सहमति नहीं देता।" हो सकता है इसके बावजूद वे आपकी तलाशी जारी रखें। हिरासत या गिरफ्तारी की सूत में भी आपको उनके किसी सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

सवाल: अगर पुलिस मुझे मेरी कार के साथ रोके तो क्या करूँ?

जवाब: पुलिस के पूछने पर आप उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या बीमा के कागजात दिखा सकते हैं। आपको कार की तलाशी देने की जरूरत नहीं है परंतु कुछ मामलों में जहां पुलिस के पास ठोस कारण हो तो आपकी कार की तलाशी बिना इजाजत के ली जा सकती है।

सवाल: पुलिस के सवालों का जवाब न देने पर अगर एजेंट आपको कोर्ट में घसीटने और जूरी के सामने पेश करने की धमकी दें तो मुझे क्या करना चाहिए?

जवाब: जूरी के सामने पेश होने का आदेश एक लिखित आदेश है जिसके तहत आपको कोर्ट में पेश हो कर दलील देनी होती है। अगर पुलिस या एफ बी आई आपको ऐसा लिखित आदेश देने की धमकी देती है तो आप तुरंत अपने वकील से सलाह लें बिना वकील की मदद के बोलने या जवाब देने से आपके लिए नई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आपके जवाबों के आधार पर पुलिस आपसे और नए सवाल पूछ सकती है। यदि पुलिस आपको जूरी के सामने पेश करती है तो भी आप किसी भी सवाल का जवाब न देने का अधिकार रखते हैं। आप अपने वकील से सलाह लेकर अपने अधिकारों के बारे में और अधिक जान सकते हैं।

सवाल: पुलिस के सवालों का जवाब न देने के खयाल ही से मुझे घबराहट होती है। ऐसा करने पर यह संदेश जाएगा कि मैं पुलिस की मदद नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐसा लगेगा कि मैं किसी चीज का दोषी हूँ। या फिर मेरे पास कुछ जानकारी है जिसे मैं छुपाना चाहता हूँ।

जवाब: सबसे पहले आपको अपने वकील से मिलना चाहिए। वकील से मुलाकात करने का मतलब यह नहीं है कि आप पुलिस की मदद नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि आप सरकारी अफसरों के सवालों का जवाब देने से पहले कानूनी सलाह ले रहे हैं। जब एक बार आप यह स्पष्ट कर दें कि आप अपने वकील से बात करना चाहते हैं उसके बाद पुलिस को सवाल पूछने बंद कर देने चाहिए। पुलिस द्वारा आपसे संपर्क साधने की परिस्थिति में ही आप वकील से बात करें अन्यथा आपको वकील से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि जांच-पड़ताल करने वाले अफसर का नाम, बैज नंबर या एजेंसी का नाम जरूर नोट कर लें ताकि आप पूरा ब्योरा अपने वकील को दे सकें।

सवाल: मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अब मुझे तमाम सवालों के जवाब देने होंगे?

जवाब: नहीं। अगर आप हिरासत में हैं तो भी आप किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। गिरफ्तारी की हालत में आप वकील से सलाह की मांग कर सकते हैं। वकील से मशविरा लिए बगैर आप किसी भी सवाल का जवाबदेही के लिए मजबूर नहीं हैं।

सवाल: यदि मुझे लगे कि पुलिस या एफ बी आई एजेंट मेरा पीछा कर रहे हैं या मुझ पर नजर रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए?

जवाब: भले ही आप किसी पर शक करें या न करें लेकिन अच्छा सोचना ही बेहतर है। आप शांतिपूर्वक सार्वजनिक तौर पर पुलिस या एफ बी आई एजेंट से उनकी मौजूदगी का मकसद पूछ सकते हैं। आप किसी गवाह को भी साथ ला सकते हैं। भले ही वह एजेंट आपके सवाल का जवाब न दे लेकिन वह इतना जरूर जान जाएगा कि आप पर नजर रखने की खबर हो गई है। पुलिस और दूसरी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नजर रखना गैर-कानूनी नहीं है। परंतु यदि आपको लगे कि आपका पीछा किया जा रहा है या फिर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं।

सवाल: यदि पुलिस या एफ बी आई मुझसे बुरी तरह से बरताव करे तो मैं क्या करूँ?

जवाब: हमेशा उस पुलिस अफसर या एजेंट का नाम, बैज नंबर और दूसरी जानकारी नोट करके रखें जो आपसे संपर्क करता है। आपका यह अधिकार है कि उस अफसर का पूरा ब्योरा लें जितना जल्दी हो सके उस अफसर के बारे में कागज पर लिख लें। कोशिश करें कि कोई गवाह भी ढूँढ़ें और उनके नाम और पते वगैरह लिख लें। अगर आपको चोटें लगी हुई हैं या आप घायल हैं तो जितनी जल्दी हो उन चोटों या घावों की तस्वीर उतार लें। साथ ही वकील को फोन करें।

3. मैं नागरिक नहीं हूँ और मुझे आई एन एस (इमीग्रेशन) एजेंसी संपर्क करती है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ?

अपने अधिकारों की मांग करें: यदि आप अपने अधिकारों की मांग नहीं करते हैं या फिर किसी कागज पर दस्तखत करके अपने अधिकार खो नहीं देते हैं तो भी आई एन एस आपको किसी वकील से मिलने से पहले ही देश से निकाल सकती है।

अधिकार जानने के लिए वकील से संपर्क करें: सदैव अपने वकील का नाम और टेलीफोन नंबर साथ रखें। इमीग्रेशन कानूनों को समझ पाना कठिन है साथ ही 'सितंबर 11' की घटना के बाद ढेर सारे प्रस्तावित बदलावों के मद्देनजर वकील का नाम, पता साथ रखना मददगार रहेगा।

नए कानूनों के तहत सरकारी अफसर किसी भी सदेहास्पद व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है। मौजूदा कानूनों और नियमों के तहत आपके 'स्टेटस' से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

महत्वपूर्ण नोट: जो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक नहीं है और अमेरिका आना चाहते हैं उन्हें बार्डर पर या एयरपोर्ट पर कड़ी जांच से गुजरना पड़ सकता है।

सवाल: किसी भी इमीग्रेशन एजेंट के सवाल का जवाब देने से पहले या आई एन एस के कागजों पर दस्तखत करने से पहले क्या मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ?

जवाब: आमतौर पर हां। हिरासत में लिए जाने की स्थिति में भी आप वकील को फोन कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप वकील को साथ रख सकते हैं। हां, लेकिन आपको